☎ 2720383
2720384

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश,

"किसान मण्डी भवन", विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांकः निदे0कैम्प/2011–15 दिनांकः 24.02.2011

समस्त उप निदेशक (प्रशासन/विपणन)/ निर्माण/ (वि0यां0)
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।

प्रायः देखा जा रहा है एवं अधोहस्ताक्षरी को संज्ञानित कराया जा रहा है कि विभिन्न मण्डी समितियों एवं मण्डी परिषद में कार्यरत गैर नियमित कर्मचारी अनावश्यक रूप से मण्डी परिषद मुख्यालय पर बगैर सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त कर ऐसे कार्यकलाप में रत है जिससे मण्डी परिषद एवं मण्डी समिति के कार्यकलाप प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे हैं एवं उनके द्वारा ऐसी कार्यवाही को भी अंजाम दिया जा रहा है जो राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश एवं कृषि उत्पादन मण्डी समिति की प्रतिष्ठा को भी आघात पहुँचा रही है।

जैसा कि विदित है कि शासनादेश के क्रम में दिनांक 29.06.91 तक के गैर नियमित कर्मियों का विनियमितीकरण वर्तमान में विचाराधीन है एवं उनके विनियमितीकरण हेतु अभिलेखों का परीक्षण कर प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है। ऐसे गैर नियमित कर्मचारी जो बगैर सक्षम स्तर से स्वीकृति के एवं गैर परिषदीय, गैर समिति अथवा गैर शासकीय कार्यो के मण्डी परिषद मुख्यालय आते है एवं अनावश्यक कार्यकलापों में रत है जिससे मण्डी परिषद/ मण्डी समितियों के कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं उनका विनियमितीकरण किया जाना मण्डी परिषद एवं मण्डी समितियों के हित में कदाचित नहीं होगा। इस सिलसिले में एक पत्र आप सभी को पत्रांक निदे0कैम्प/2011–13 दिनांक 24.02.2011 द्वारा प्रेषित किया जा चुका है जिसके अनुपालन में आपके स्तर पर कार्यवाही अपेक्षित होगी।

वैसे गैर नियमित कर्मचारी जिनकी नियुक्ति दिनांक 29.06.1991 के पश्चात हुई है, का विनियमितीकरण भी कालान्तर में किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतएव् मण्डी परिषद एवं मण्डी समितियों में तैनात वैसे गैर नियमित कर्मचारियों जिनकी नियुक्ति दिनांक 29.06.1991 के पश्चात हुई है, के क्रियाकलापों एवं गतिविधियों पर भी बारीक

नजर रखी जाय एवं उन्हें मण्डी परिषद एवं मण्डी समितियों की प्रतिष्ठा के विपरीत आचरण करने एवं उनके क्रियाकलापों के प्रतिकूल परिस्थितियों में करने अथवा गैर उत्पादक कार्य करने की अवस्था में सुसंगत अभिलेखों यथा वार्षिक मूल्यांकन करते हुए उसमें प्रतिकूल तथ्यों को दर्ज किया जाय ताकि भविष्य में उनके विनियमितीकरण करने के सम्बन्ध में तथ्यों का संज्ञान लेते हुए यह मत स्थित किया जा सके कि क्या उनका विनियमितीकरण किया जाना मण्डी परिषद / मण्डी समिति के लिए हितकर होगा अथवा नहीं ?

उपर्युक्त आदेश का अनुपालन प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

24.02.11

(राजेश कुमार सिंह)
निदेशक,
मण्डी परिषद, उ0प्र0

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक समांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. अपर निदेशक (प्रशासन), मण्डी परिषद, मुख्यालय।
2. मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद मुख्यालय।
3. वित्त नियंत्रक, मण्डी परिषद मुख्यालय।
4. समस्त उप निदेशक, मण्डी परिषद मुख्यालय।
5. समस्त अधिकारी, मण्डी परिषद मुख्यालय।
6. समस्त सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।

(राजेश कुमार सिंह)
निदेशक,
मण्डी परिषद, उ0प्र0

☎ 2720383
2720384

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश,

"किसान मण्डी भवन", विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांकः निदे0कैम्प/2011- 15 दिनांकः 24.02.2011

समस्त उप निदेशक (प्रशासन/विपणन)/ निर्माण/ (वि0यां0)
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।

प्रायः देखा जा रहा है एवं अधोहस्ताक्षरी को संज्ञानित कराया जा रहा है कि विभिन्न मण्डी समितियों एवं मण्डी परिषद में कार्यरत गैर नियमित कर्मचारी अनावश्यक रूप से मण्डी परिषद मुख्यालय पर बगैर सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त कर ऐसे कार्यकलाप में रत है जिससे मण्डी परिषद एवं मण्डी समिति के कार्यकलाप प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे हैं एवं उनके द्वारा ऐसी कार्यवाही को भी अंजाम दिया जा रहा है जो राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश एवं कृषि उत्पादन मण्डी समिति की प्रतिष्ठा को भी आघात पहुँचा रही है।

जैसा कि विदित है कि शासनादेश के क्रम में दिनांक 29.06.91 तक के गैर नियमित कर्मियों का विनियमितीकरण वर्तमान में विचाराधीन है एवं उनके विनियमितीकरण हेतु अभिलेखों का परीक्षण कर प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है। ऐसे गैर नियमित कर्मचारी जो बगैर सक्षम स्तर से स्वीकृति के एवं गैर परिषदीय, गैर समिति अथवा गैर शासकीय कार्यो के मण्डी परिषद मुख्यालय आते है एवं अनावश्यक कार्यकलापों में रत है जिससे मण्डी परिषद/ मण्डी समितियों के कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं उनका विनियमितीकरण किया जाना मण्डी परिषद एवं मण्डी समितियों के हित में कदाचित नहीं होगा। इस सिलसिले में एक पत्र आप सभी को पत्रांक निदे0कैम्प/2011-13 दिनांक 24.02.2011 द्वारा प्रेषित किया जा चुका है जिसके अनुपालन में आपके स्तर पर कार्यवाही अपेक्षित होगी।

वैसे गैर नियमित कर्मचारी जिनकी नियुक्ति दिनांक 29.06.1991 के पश्चात हुई है, का विनियमितीकरण भी कालान्तर में किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतएव् मण्डी परिषद एवं मण्डी समितियों में तैनात वैसे गैर नियमित कर्मचारियों जिनकी नियुक्ति दिनांक 29.06.1991 के पश्चात हुई है, के क्रियाकलापों एवं गतिविधियों पर भी बारीक

नजर रखी जाय एवं उन्हें मण्डी परिषद एवं मण्डी समितियों की प्रतिष्ठा के विपरीत आचरण करने एवं उनके क्रियाकलापों के प्रतिकूल परिस्थितियों में करने अथवा गैर उत्पादक कार्य करने की अवस्था में सुसंगत अभिलेखों यथा वार्षिक मूल्यांकन करते हुए उसमें प्रतिकूल तथ्यों को दर्ज किया जाय ताकि भविष्य में उनके विनियमितीकरण करने के सम्बन्ध में तथ्यों का संज्ञान लेते हुए यह मत स्थित किया जा सके कि क्या उनका विनियमितीकरण किया जाना मण्डी परिषद / मण्डी समिति के लिए हितकर होगा अथवा नहीं ?

उपर्युक्त आदेश का अनुपालन प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

(राजेश कुमार सिंह)
निदेशक,
मण्डी परिषद, उ0प्र0

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक समांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर निदेशक (प्रशासन), मण्डी परिषद, मुख्यालय।
2. मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद मुख्यालय।
3. वित्त नियंत्रक, मण्डी परिषद मुख्यालय।
4. समस्त उप निदेशक, मण्डी परिषद मुख्यालय।
5. समस्त अधिकारी, मण्डी परिषद मुख्यालय।
6. समस्त सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।

24.02.11

(राजेश कुमार सिंह)
निदेशक,
मण्डी परिषद, उ0प्र0

☏ 2720383
2720384

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश,

"किसान मण्डी भवन", विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांकः **निदे0कैम्प/2011– 15** दिनांकः **24.02.2011**

समस्त उप निदेशक (प्रशासन/विपणन)/ निर्माण/ (वि0यां0)
<u>**राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।**</u>

प्रायः देखा जा रहा है एवं अधोहस्ताक्षरी को संज्ञानित कराया जा रहा है कि विभिन्न मण्डी समितियों एवं मण्डी परिषद में कार्यरत गैर नियमित कर्मचारी अनावश्यक रूप से मण्डी परिषद मुख्यालय पर बगैर सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त कर ऐसे कार्यकलाप में रत है जिससे मण्डी परिषद एवं मण्डी समिति के कार्यकलाप प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे हैं एवं उनके द्वारा ऐसी कार्यवाही को भी अंजाम दिया जा रहा है जो राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश एवं कृषि उत्पादन मण्डी समिति की प्रतिष्ठा को भी आघात पहुँचा रही है।

जैसा कि विदित है कि शासनादेश के क्रम में दिनांक 29.06.91 तक के गैर नियमित कर्मियों का विनियमितीकरण वर्तमान में विचाराधीन है एवं उनके विनियमितीकरण हेतु अभिलेखों का परीक्षण कर प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है। ऐसे गैर नियमित कर्मचारी जो बगैर सक्षम स्तर से स्वीकृति के एवं गैर परिषदीय, गैर समिति अथवा गैर शासकीय कार्यो के मण्डी परिषद मुख्यालय आते है एवं अनावश्यक कार्यकलापों में रत है जिससे मण्डी परिषद/ मण्डी समितियों के कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं उनका विनियमितीकरण किया जाना मण्डी परिषद एवं मण्डी समितियों के हित में कदाचित नहीं होगा। इस सिलसिले में एक पत्र आप सभी को पत्रांक निदे0कैम्प/2011–13 दिनांक 24.02.2011 द्वारा प्रेषित किया जा चुका है जिसके अनुपालन में आपके स्तर पर कार्यवाही अपेक्षित होगी।

वैसे गैर नियमित कर्मचारी जिनकी नियुक्ति दिनांक 29.06.1991 के पश्चात हुई है, का विनियमितीकरण भी कालान्तर में किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतएव् मण्डी परिषद एवं मण्डी समितियों में तैनात वैसे गैर नियमित कर्मचारियों जिनकी नियुक्ति दिनांक 29.06.1991 के पश्चात हुई है, के क्रियाकलापों एवं गतिविधियों पर भी बारीक

नजर रखी जाय एवं उन्हें मण्डी परिषद एवं मण्डी समितियों की प्रतिष्ठा के विपरीत आचरण करने एवं उनके क्रियाकलापों के प्रतिकूल परिस्थितियों में करने अथवा गैर उत्पादक कार्य करने की अवस्था में सुसंगत अभिलेखों यथा वार्षिक मूल्यांकन करते हुए उसमें प्रतिकूल तथ्यों को दर्ज किया जाय ताकि भविष्य में उनके विनियमितीकरण करने के सम्बन्ध में तथ्यों का संज्ञान लेते हुए यह मत स्थित किया जा सके कि क्या उनका विनियमितीकरण किया जाना मण्डी परिषद / मण्डी समिति के लिए हितकर होगा अथवा नहीं ?

उपर्युक्त आदेश का अनुपालन प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

24.02.11

(राजेश कुमार सिंह)
निदेशक,
मण्डी परिषद, उ0प्र0

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक समांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर निदेशक (प्रशासन), मण्डी परिषद, मुख्यालय।
2. मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद मुख्यालय।
3. वित्त नियंत्रक, मण्डी परिषद मुख्यालय।
4. समस्त उप निदेशक, मण्डी परिषद मुख्यालय।
5. समस्त अधिकारी, मण्डी परिषद मुख्यालय।
6. समस्त सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।

24.02.11

(राजेश कुमार सिंह)
निदेशक,
मण्डी परिषद, उ0प्र0